न्यायालय भू–प्रबन्ध अधिकारी एवं पदेन राजस्व अपील अधिकारी उदयपुर

पीठासीन अधिकारी :– कीर्ति राठौड़, आर.ए.एस.

प्रकरण संख्या 146/2024 (उदयपुर डिक्री)

सखा उर्फ सुखलाल पिता कन्ना जी डांगी, निवासी सिन्दु, तहसील मावली, जिला उदयपुर (राज.)

.... अपीलान्ट

बनाम

1. मेघराज पिता वरदा जी डांगी, निवासी सिन्दु, तहसील मावली, जिला उदयपुर (राज.)
2. श्रीमती सरसी पिता वरदा जी डांगी, निवासी सिन्दु, तहसील मावली, जिला उदयपुर (राज.)
3. श्रीमती प्यारीबाई पिता वरदा जी डांगी, निवासी सिन्दु, तहसील मावली, जिला उदयपुर (राज.)
4. श्रीमती मोतीबाई पिता कन्ना जी डांगी, निवासी सिन्दु, तहसील मावली, जिला उदयपुर (राज.)
5. श्रीमती हेमीबाई पिता कन्ना जी डांगी, निवासी सिन्दु, तहसील मावली, जिला उदयपुर (राज.)
6. श्रीमती रम्भा पिता कन्ना जी डांगी, निवासी सिन्दु, तहसील मावली, जिला उदयपुर (राज.)
7. लच्छा पिता कन्ना जी डांगी, निवासी सिन्दु, तहसील मावली, जिला उदयपुर (राज.)
8. राजस्थान राज्य जरिये तहसीलदार मावली, नवीन तहसील घासा, जिला उदयपुर (राज.)

................रेस्पोन्डेन्टगण

अपील अन्तर्गत धारा223 राजस्थान
काश्त. अधि.1955 विरूद्ध निर्णय व
डिक्री उपखण्ड अधिकारी, मावली
दिनांक 19.04.2010 प्र.सं. 241/07

———/———

उपस्थित :– 1– श्री खेमराज डांगी अभिभाषक अपीलान्ट
2– श्री देवराम डांगी अभिभाषक रे.सं. 1 से 3

———::———

निर्णय दिनांक 18–03–2025

प्रकरण के संक्षेप में तथ्य इस प्रकार हैं कि अधीनस्थ न्यायालय में हाल रेस्पोन्डेन्ट संख्या 1 से 3 के पिता वरदा ने एक वाद अन्तर्गत धारा 88 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम एवं धारा 136 राजस्थान भू–राजस्व अधिनियम का प्रस्तुत कर निवेदन किया कि मौजा सिन्धु में आराजी नंबर 257 रकबा 6 बीघा 13 बिस्वा भूमि स्थित है जो वर्तमान राजस्व रेकार्ड में

Signature Not Verified
Digitally signed by Kirti Rathore
Date: 2025.04.15 15:04:02 IST
Reason: SelfAttested

प्रतिवादी संख्या 1 से 6 के नाम अंकित है। उक्त आराजी के सेटलमेन्ट के पूर्व नंबर 271 रकबा पौने पॉच बीघा 4 बिस्वा थे, जो संवत 2010 में वादी के नाम अंकित थी, जो मुझे माफीदार खास की हैसियत से प्राप्त होकर मेरे आधिपत्य व कब्जे में है। वादी का कब्जा संवत् 2010 से निरन्तर चला आ रहा है। मूल पुरूष खेमा जी के दो पुत्र वरदा व कन्ना हुए। कन्ना के वारिस प्रतिवादीगण हैं। संवत् 2022 में उक्त आराजी मुझ वादी के बजाये मेरे भाई कन्ना के नाम पर अंकित हो गयी तथा बाद में विरासत से प्रतिवादीगण के नाम दर्ज हो गयी। अतः विवादित आराजी नंबर 257 रकबा 6 बीघा 13 बिस्वा भूमि का वादी को खातेदार घोषित किया जाकर प्रतिवादी संख्या 1 से 6 का नाम राजस्व रेकार्ड से हटाया जावे तथा प्रतिवादीगण को जरिये स्थायी निषेधाज्ञा पाबन्द किया जावे।

अधीनस्थ न्यायालय ने वादी के अधिवक्ता की बहस सुनकर दिनांक 19–04–2010 को वादी का वाद स्वीकार कर डिक्री जारी की, जिससे रूष्ट होकर अपीलान्ट/प्रतिवादी संख्या 2 द्वारा इस न्यायालय में यह अपील दिनांक 26–11–2024 को प्रस्तुत की गई है।

अपील दर्ज रजिस्टर की जाकर रेस्पोन्डेन्टगण को नोटिस जारी किये जाने पर रेस्पोन्डेन्ट संख्या 1 से 3 की ओर से अभिभाषक श्री देवराम डांगी उपस्थित हुए तथा अपीलान्ट की ओर से अधिवक्ता श्री ओंकारलाल डांगी उपस्थित हुए। अधीनस्थ न्यायालय का रिकार्ड तलब किया जाकर अभिभाषक उभयपक्ष की बहस सुनी गई।

अभिभाषक अपीलान्ट ने धारा 5 मियाद अधिनियम का प्रार्थना पत्र प्रस्तुत कर निवेदन किया कि अपीलान्ट को अधीनस्थ न्यायालय के निर्णय व डिक्री की जानकारी लोक अदालत शिविर के दौरान दिनांक 27–07–2015 को हुई, जब अपीलान्ट ने बंटवारे हेतु पटवारी हल्का से जमाबन्दी की नकल लेने के लिए कहा। जानकारी होने पर एकपक्षीय डिक्री को निरस्त कराने हेतु आदेश 9 नियम 13 जा.दी. का प्रार्थना पत्र प्रस्तुत किया, जो दिनांक 12–11–2024 को निरस्त हो गयी। इस कारण आदेश 9 नियम 13 जा.दी. के प्रार्थना पत्र में हुई कार्यवाही में लगे समय से अपील अन्दर अवधि पेश है। अतः देरी को क्षमा किया जाकर अपील अन्दर मयाद शुमार की जावे। ताईद में शपथ पत्र प्रस्तुत किया।

Signature Not Verified

Digitally signed by Kirti Rathore
Date: 2025.04.15 15:04:02 IST
Reason: SelfAttested

हमने बहस पर मनन कर पत्रावली का अवलोकन किया। आदेश 9 नियम 13 जा.दी. के प्रार्थना पत्र में हुई कार्यवाही में लगे समय को ध्यान में रखते हुए तथा प्रकरण में गुणावगुण के आधार पर निर्णय करने के दृष्टिगत न्यायहित में मयाद कण्डोन की जाकर अपील श्रवणार्थ ग्रहण की जाती है।

विद्वान अभिभाषक अपीलान्ट ने वक्त बहस अपील मीमों में वर्णित तथ्यों को पुनः दोहराते हुए निवेदन किया कि धारा 88 का प्रकरण होने से विधिवत सुनवाई कर साक्ष्यों के आधार पर मेरिट पर निर्णय किया जाना चाहिए था, किन्तु अपीलान्ट के विरूद्ध एकतरफा कार्यवाही हो जाने से उन्हें अपना पक्ष प्रस्तुत करने का अवसर प्राप्त नहीं हुआ है तथा प्रकरण को दोतरफा करने का आवेदन भी अधीनस्थ न्यायालय द्वारा खारिज कर दिया गया है। अतः अपील स्वीकार की जाकर अधीनस्थ न्यायालय का निर्णय व डिक्री निरस्त फरमायी जावे।

उक्त बहस का खण्डन करते हुए अभिभाषक रेस्पोन्डेन्ट ने बताया कि पक्षकारान एक ही खानदान के हैं तथा चस्पानगी के गवाह उपस्थित हैं। दिनांक 04–03–2008 को एकपक्षीय कार्यवाही के आदेश हुए हैं तथा दिनांक 19–04–2010 को डिक्री जारी हुई है। दिनांक 29–09–2015 को आदेश 9 नियम 13 जा.दी. का प्रार्थना पत्र प्रस्तुत किया गया है जो खारिज हुआ है। विधिवत तामिल के बावजूद अपीलान्ट के अनुपस्थित रहने से अधीनस्थ न्यायालय ने एकपक्षीय बहस सुनकर साक्ष्यों के आधार पर डिक्री जारी की है, जो विधि सम्मत है। अतः अपील खारिज की जावे।

हमने उभयपक्षों की बहस पर मनन कर पत्रावली का अवलोकन किया। प्रदर्श 2 संवत् 2010 की जमाबन्दी में साबिक आराजी नंबर 271 रकबा 4 बीघा 19 बिस्वा भूमि रेस्पोन्डेन्ट संख्या 1 से 3 के पिता वादी वरदा के नाम दर्ज है तथा प्रदर्श 3 अनुसार साबिक आराजी नंबर 271 रकबा 4 बीघा 19 बिस्वा से हाल आराजी नंबर 257 रकबा 6 बीघा 13 बिस्वा बनना स्पष्ट है तथा इसी प्रदर्श 3 भू–प्रबन्ध विभाग के खसरा पत्रक की कलम संख्या 22 (गत भूमाप) में वादी वरदा का नाम अंकित है, जबकि कलम संख्या 23 (वर्तमान) में अपीलान्ट व रेस्पोन्डेन्ट संख्या 4 से 7 के पिता कन्ना का नाम अंकित है। प्रदर्श 6 संवत् 2022 की कलम संख्या 24 में वरदा के नाम पर गोला लगाकर उसके स्थान पर कन्ना का नाम अंकित किया गया

Signature Not Verified
Digitally signed by Kirti Rathore
Date: 2025.04.15 15:04:02 IST
Reason: SelfAttested

है, जिसे आधार बनाकर वरदा ने दावा पेश किया एवं अधीनस्थ न्यायालय ने वरदा का नाम काटकर कन्ना का नाम अंकित किये जाने को गलत मानते हुए वादी का वाद डिक्री कर उन्हें विवादित आराजी नंबर 257 रकबा 6 बीघा 13 बिस्वा का खातेदार घोषित कर दिया, जो न्यायालय हाजा में अपीलान्ट द्वारा प्रस्तुत भू–प्रबन्ध विभाग के खसरा परिशोधन पत्र अनुसार प्रथम दृष्टया त्रुटि पूर्ण प्रकट होता है, क्योंकि उक्त खसरा परिशोधन पत्र अनुसार कन्ना व वरदा दोनों भाईयों में भूमि का रद्दोबदल होना स्पष्ट होता है तथा उक्त खसरा परिशोधन पत्र पर दोनों भाई कन्ना व वरदा के हस्ताक्षर हैं। उक्त खसरा परिशोधन पत्र के अवलोकन से प्रथम दृष्टया यह प्रकट होता है कि भूमि रद्दोबदल हो जाने के बाद भी वादी वरदा ने अधीनस्थ न्यायालय में उक्त रद्दोबदल का दस्तावेज को पेश नहीं किया, जिससे रद्दोबदल की कार्यवाही अधीनस्थ न्यायालय के सामने नहीं आयी। चूंकि अधीनस्थ न्यायालय में प्रतिवादीगण के विरूद्ध एकपक्षीय कार्यवाही हो गयी थी इस कारण वह अधीनस्थ न्यायालय में अपना पक्ष प्रस्तुत नहीं कर सके, किन्तु हमारे समक्ष अपीलान्ट द्वारा जो खसरा परिशोधन पत्र प्रस्तुत किया गया है, उसके अनुसार अपीलान्ट को सुनवाई का अवसर दिया जाना हम उचित समझते हैं। तद्नुसार अधीनस्थ न्यायालय का निर्णय व डिक्री प्रथम दृष्टया त्रुटि पूर्ण होने से अपास्त योग्य है।

अतः अपील अपीलान्ट स्वीकार की जाकर अधीनस्थ न्यायालय का निर्णय व डिक्री दिनांक 19–04–2010 अपास्त की जाती है तथा पत्रावली अधिनस्थ न्यायालय को इन निर्देशों के साथ प्रतिप्रेषित की जाती है अपीलान्ट/प्रतिवादी का जवाबदावा लेकर तथा अपीलान्ट द्वारा प्रस्तुत भू–प्रबन्ध विभाग के खसरा परिशोधन पत्र पर पक्षकारान की साक्ष्य लेकर साक्ष्य सबूतों के आधार पर पुनः नये सिरे निर्णय पारित करें। पक्षकारान अधीनस्थ न्यायालय में दिनांक 12–05–2025 को उपस्थित रहें। निर्णय आज दिनांक 18–03–2025 को खुले न्यायालय में सुनाया गया। अधिनस्थ न्यायालय की पत्रावली लौटायी जावे। पत्रावली फैसल शुमार हो नम्बर से कम की जावे।

(कीर्ति राठौड़)
भू–प्रबन्ध अधिकारी
एवं पदेन राजस्व अपील अधिकारी
उदयपुर

Signature Not Verified

Digitally signed by Kirti Rathore
Date: 2025.04.15 15:04:02 IST
Reason: SelfAttested